

पञ्जाब न्यायिक सेवा विभाग
उपस्थिति न्यायिक अधिकारी
नीमकाथाना

20/11/23

पञ्जावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट अपन
दौराने बहल वकील अपीलान्ट ने बतया
था कि भूमि खण्ड नं० 2027 रकबा 0.91 है
बिल्डिंग ब्यारामी तन ग्राम गढडकनेत में
स्थित है। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
के आदेश क्रमांक 546 राजस्व/99 दिनांक
29-7-99 द्वारा जगमाल सिंह, बजरंग सिंह,
गुमान सिंह पुत्रगण लखार सिंह राजपूत
निवासी गढडकनेत के भूमि खण्ड नं० 2027
रकबा 0.99 है। लम्पट का आवंटन हुआ था
उसी लम्पट से मावटी कब्जा काश्त चला
आ रहा है। अपीलान्ट उता 7 बजरंग सिंह
के चारिख है। जो एक बजरंग सिंह 113 हिं
टिहें पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं।
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेशाद्वारा
दिनांक 29.5.2000 के गैर खाते दाखी दर्ज
कर फैलल कराने का आदेश दिया गया।



(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना



संख्या	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

पटवारी हल्का डारा गैर खोतेदारी का नामा सं 367 भर कर मादेशानार्थ हेतु पेश किया। जिल पर भू० अ० निरीक्षण डारा डि 2-6-2000 को मौके पर पेश होने का नोट लगा दिया। रेल्वोडेन्ट के समक्ष नामान्तरण सं 367 को तस्दीक हेतु पेश किया। जिल पर रेल्वो० डारा तस्दीक नही कर प्रमाणित प्रति के अभाव में नामान्तरण को लश्त खारीज किया गया है।


अपील के साथ उच्चत अर्चना पर धारा का न्यायदित में स्वीकार किया जाया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर नामान्तरण सं 367 तन ग्रुप गव्हर्नमेन्ट के बाबत रेल्वो० डारा किया गया मादेश निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट डि वृद्ध पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अर्चना पत्रों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण सं 367 के अवलोकन से पाया गया कि जांच के दौरान भू० अ० निरीक्षण डारा मौके पर पेश होने पर रिष्णी अंकित कि गई। रेल्वो० डारा उक्त नामान्तरण सं 367 को प्रमाणित प्रति के अभाव में खारीज किया गया है। नामान्तरण डि प्रति से स्पष्ट है। इससे स्पष्ट है कि रेल्वो० डारा नामान्तरण सं 367 को लश्त खारीज किया ~~किया~~ गया है। इससे यह तो स्पष्ट है कि रेल्वोडेन्ट डारा प्रमाणित प्रति जो डि

कुमार)
मला कलक्टर
मला मजिस्ट्रेट
ना

बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। के
अभाव में नामान्तरण सशर्त त्वारीज क्रिया
गया है। तद्विहित द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों
के आधार पर कार्यवाही कि गई है। -
तद्विहित द्वारा के निर्णय में किसी प्रकार
का हस्तक्षेप क्रिया जाना उचित नहीं
नहीं होता है। प्रार्थना पत्र द्वारा 5 मिथाड
अधिनियम का न्यायदिवस में स्वीकार
क्रिया जाता है। उल्लेख कपी लु सारहीन
होने से स्वीकार क्रिया जाना उचित नहीं
नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के
आधार पर कपी लु कपीलान्ट सारहीन
होने से त्वारीज की जाती है। एवं कपीलान्ट
रेलफोडेन्ट के समस्त नामान्तरण में कंकन
नोट अनुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र
है। निर्णय बनाया। पत्रावली केसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर डाकिलु दफ्तर से


(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना